इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 448] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 सितम्बर 2014—आश्विन 1, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2014

क्र. एफ. 23-13-12-पच्चीस-4.—मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिये मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षप्ति नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—(1) ये नाम मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 संशोधन नियम, 2014 कहलाएंगे.

(3) ये नियम मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक से प्रभावशील होंगे.

7. राहत एवं सहायता.—जिला दण्डाधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होते ही तत्काल विभिन्न अत्याचारों के लिए पीड़ित व्यक्तियों, उनके परिवार या आश्रितों को निम्नानुसार सहायता/राहत दी जाएगी. सहायता राशि जहां 25,000/- से अधिक है, वहां आवश्यकता अनुसार अधिकतम 25,000/- की राशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक दिया जायेगा. शेष राशि पोस्ट आफिस या बैंक की मासिक आय योजना अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति/आश्रित के नाम रखी जाएगी अथवा राशि फिक्स डिपाजिट में रखी जाएगी, जो पीड़ित व्यक्ति के/मृतक के, आश्रितों के हस्ताक्षर से ही आहरित होगी.

(राहत राशि के लिए मापदण्ड)

निम्नानुसार राहत दरें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 23 जून 2014 से प्रभावशील होंगी :—

क्र. सं. (1)	अपराध का नाम (2)	राहत की न्यूनतम राशि (3)
1	अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीना या खाना अधिनियम की धारा 3 (1) (i)	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए रुपये 90,000/- या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा- दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा:— 1. 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाये. 2. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाये.
2	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना अधिनियम की धारा 3 (1) (ii)	
3	अनादरसूचक कार्य अधिनियम की धारा 3 (1) (iii)	

(1)	(2)	(3)
4	सदोष भूमि अभिभोग में लेना या उस पर कृषि करना, आदि अधिनियम की धारा 3 (1) (iv)	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 90,000/- रुपये या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुन: वापस की जायेगी जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाये, पूरा भुगतान किया जाये.
5	भूमि, परिसर या जल से संबंधित अधिनियम की धारा 3 (1) (v)	
6	बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी अधिनियम की धारा 3 (1) (vi)	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 90,000/- रुपये प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर.
7	मतदान के अधिकार के संबंध में धारा 3 (1) (vii)	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 75,000/- रुपये तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है.
8	मिथ्या, द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही धारा 3 (1) (viii)	90,000/- रुपये या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो.
9	मिथ्या या तुच्छ जानकारी धारा 3 (1) (ix)	
10	अपमान, अभित्रास और अवमानना धारा 3 (1) (x)	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 90,000/- रुपये तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये और शेष दोष सिद्ध होने पर.
11	किसी महिला की लज्जा भंग करना धारा 3 (1) (xi)	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 1,80,000/- रुपये चिकित्सा जाँच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाये और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाये.
12	महिला का लैंगिक शोषण धारा 3 (1) (xii)	
13	पानी गंदा करना धारा 3 (1) (xiii)	3,75,000/- रुपये तक जब पानी को गंदा कर दिया जाये उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाये, भुगतान किया जाये.
14	मार्ग के रूढ़ि जन्य अधिकार से वंचित करना धारा 3 (1) (xiv)	3,75,000/- रुपये तक या मार्ग के अधिकार को पुन: बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर.
15	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना धारा 3 (1) (xv)	स्थल बहाल करना, ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 90,000/- रुपये का प्रतिकार तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण यदि नष्ट किया गया हो. पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाये.
16	मिथ्या साक्ष्य देना धारा 3 (2) (i) और (ii)	कम से कम 3,75,000/- रुपये या उठाये गये नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.

(1)	(2)	(3)
17	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से से दंडनीय अपराध करना धारा 3 (2) (v)	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 1,80,000/- रुपये यदि अनुसूची में विशिष्ट. अन्यथा प्रावधान किया हो तो इस राशि में अंतर होगा.
18	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न धारा 3 (2) (vii)	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर. 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाये और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोषसिद्ध हो जाये, किया जायेगा.
19	नि:शक्तता नि:शक्तता की परिभाषा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1955 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिये दिशा निर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01-06-2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 154, समय समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी. अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबंध 2 पर संलग्न है.	
	(क) 100 प्रतिशत असमर्थता (i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य (ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 3,75,000/- रुपये 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर. अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 7,50,000/- रुपये 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाये और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.
	(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है	उपर्युक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जायेगा, भुगतान के चरण भी वहीं रहेंगे. तथापि न कमाने वाले सदस्य को 60,000/- रुपये से कम नहीं और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 1,20,000/- रुपये से कम नहीं होगा.
20	हत्या, मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 3,75,000/- रुपये 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.
	(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 7,50,000/- रुपये. 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.
21	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थता और डकैती का पीड़ित.	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए.— (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 4500/- रुपये प्रति मास

(1)	(2)	(3)
		की दर से या मृतक के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा.
		(ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाये.
		(iii) तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था.
22	पूर्णतया नष्ट करना/जला हुआ मकान	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो. वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाये या उसकी व्यवस्था की जाये.''

10. पुनर्वास.—पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार, आश्रितों, मृतक के आश्रितों के पुनर्वास हेतु निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.—

(1) **मासिक निर्वाह भत्ता.**—(अ) अनुसूचित जाति और जनजाति का मृतक, यदि कमाने वाला है तो उसकी विधवा या एक आश्रित को 4500/- प्रतिमाह की दर से 6 माह तक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. यदि विधवा आश्रित को नौकरी दे दी जाती है या किसी व्यवसाय में व्यवस्थापित कर दिया जाता है तब सेवा में नियुक्त होने/व्यवसाय हेतु सुविधा उपलब्ध कराने की तिथि से निर्वाह भत्ता बंद कर दिया जाएगा.

(ब) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य की फसल नष्ट कर दी गई है तो अगली फसल आने तक या अधिकतम 6 माह तक 4500/- निर्वाह भत्ते के रूप में पीड़ित परिवार को दिया जाएगा, ताकि वह पुन: फसल उगा सकें.

(स) यदि मकान जला दिया जाता है तो तीन माह की अवधि तक परिवार के भरण-पोषण हेतु चावल, दाल, गेहूं आदि कलेक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा प्रति व्यक्ति अधिकतम 15 किलो दिया जाएगा. साथ ही बर्तन आदि दिए जाएंगे.

(द) उत्पीड़न के कारण कमाने वाले व्यक्ति की शत-प्रतिशत स्थाई शारीरिक अक्षमता होने पर उपरोक्त (अ) एवं (ब) अनुसार सहायता परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी.

(2) **रोजगार.**—मृतक की विधवा अथवा उसकी संतानों या आश्रितों में किसी एक को 6 माह के अंदर शासकीय अथवा जिले के किसी अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक संस्थानों में योग्यता के आधार पर भृत्य, चतुर्थ श्रेणी, कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर संविदा नियुक्ति, संविदा शिक्षक आदि पर रोजगार दिया जायेगा. कलेक्टर जिले में ही रोजगार निर्धारित समयावधि में दी जाना सुनिश्चित करेंगे. विधवा को नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

(4) **कृषि भूमि.**—यदि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदाय नहीं किया जाता है और परिवार भूमिहीन हो तो कलेक्टर 6 माह के अंदर कम से कम 2 एकड़ कृषि भूमि पीड़ित परिवार के आश्रितजन को कलेक्टर द्वारा यथा संभव उपलब्ध कराई जायेगी.

(5) **बच्चों की शिक्षा.**—मृतक के 18 वर्ष से कम उम्र के पुत्र-पुत्रियों को एक माह के अंदर छात्रावास/आश्रम में प्रवेश दिया जाकर उनकी 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने तक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी. ऐसे बालक-बालिकाओं को 12 माह की अवधि के लिये शिष्यवृत्ति की पात्रता होगी. इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर 1000/- माध्यमिक स्तर पर 1500/- हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्तर पर 3000/- रुपये प्रतिवर्ष पहनने के कपड़े, जूते, पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं, स्टेशनरी आदि के लिये दिए जाएंगे.

(6) **सामाजिक पुनर्वास.**—(अ) यदि कोई बलात्कार से पीड़ित अविवाहित महिला से कोई युवक/व्यक्ति शादी करता है तो शादी का व्यय अधिकतम 10,000/- तथा युवक/व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु 30,000/- की अनुदान सहायता व बैंक से ऋण अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की स्वरोजगार योजनाओं के तहत् उपलब्ध कराया जाएगा.

(ब) यदि मृतक की पत्नी (विधवा) शादी करती है तो शादी का व्यय अधिकतम 10,000/- दिए जाएंगे.

(स) यदि माता-पिता दोनों की हत्या हो जाती है तो पुत्री/पुत्रियों के विवाह के लिये 15,000/- प्रत्येक पुत्री के लिये दिए जाएंगे. किन्तु केवल पिता की हत्या होने पर केवल 10,000/- दिए जाएंगे.

(द) शैक्षणिक संस्थाओं में वाद-विवाद एवं लेखन प्रतियोगिताएं —

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के संबंध में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व उच्चतर माध्यमिक शालाओं में प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को वाद-विवाद एवं लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा विजेता व उपविजेता को निम्नानुसार पुरस्कार दिया जाएगा :—

	वाद-विवाद प्रतियोगिता	लेखन प्रतियोगिता
(अ) महाविद्यालय.—		
(1) प्रथम पुरस्कार	1500/-	1500/-
(2) द्वितीय पुरस्कार	1000/-	1000/-
(3) तृतीय पुरस्कार	500/-	500/-
(ब) उच्चतर माध्यमिक स्तर.—		
(1) प्रथम पुरस्कार	1000/-	1000/-
(2) द्वितीय पुरस्कार	500/-	500/-
(3) तृतीय पुरस्कार	300/-	300/-

उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त महाविद्यालयों को प्रतियोगिता आयोजन हेतु 3000 रुपये प्रति प्रतियोगिता एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं को रुपये 2000/- प्रति प्रतियोगिता के मान से राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 10,000/- रुपये की राशि दी जाएगी. विश्वविद्यालय स्तर पर पुरस्कार राशि रुपये 2000/-, 1500/- एवं 1000/- होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.